छत्तीसगढ़ शासन

गृह(पुलिस) विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक: 23.11.2007

एफ 2–33/दो–गृह/रापुसे/2007: भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, अपराध अनुसंधान शाखा, पुलिस प्रशिक्षण शाला एवं शासकीय रेल पुलिस में आरक्षक की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ.** –(1) इन नियमों को छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य में होगा ।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषायें.** – इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों ; –

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत हैं, नियम 6 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ;

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम–11 के अधीन भर्ती के लिये संचालित प्रतियोगी परीक्षा ;

(ग) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है, शारीरिक मापतौल तथा शारीरिक प्रवीणता टेस्ट ;

(घ) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है, लिखित परीक्षा;

(ड.) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनूसूची ;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनूसूचित जाति ;

(छ) "अनूसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनूसूचित जनजाति ;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है तृतीय वर्ग कार्यपालिक के अंतर्गत आने वाली पुलिस कार्यपालिक बल, अपराध अनुसंधान शाखा, पुलिस प्रशिक्षण शाला एवं शासकीय रेल पुलिस हेतु आरक्षक {जीडी}, आरक्षक {चालक}, आरक्षक {ट्रेडमेन} एवं आरक्षक {सहायक}।

3. **विस्तार तथा लागू होना.** – छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन.** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे – अर्थात :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों ;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होनें के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों ; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.** – सेवा का वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची– एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा।

परंतु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय समय पर स्थाई या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा ।

6. चयन समिति :– (1) नियम 6 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने के प्रयोजन हेतु चयन समिति का गठन निम्नानुसार पुलिस रेंज के महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा :–

(एक) संबंधित पुलिस जिले का पुलिस अधीक्षक – अध्यक्ष

(दो) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से अनिम्न स्तर का एक अधिकारी – सदस्य

(तीन) उप पुलिस अधीक्षक स्तर का अनिम्न स्तर का एक अधिकारी – सदस्य

परन्तु ऊपर उल्लेखित दो सदस्यों में से एक सदस्य छत्तीसगढ सशस्त्र बल से होगा तथा अन्य सदस्य किसी अन्य जिले के पुलिस बल में पदस्थ किया गया अधिकारी होगा। छत्तीसगढ सशस्त्र बल के अधिकारी का नामांकन छत्तीसगढ सशस्त्र बल के पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक के परामर्श से किया जाएगा ।

परन्तु चयन समिति का कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य होगा । छत्तीसगढ सशस्त्र बल में उप सेनानी/सहायक सेनानी स्तर के अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर किसी अन्य इकाई से समकक्ष श्रेणी अथवा निरीक्षक श्रेणी के अधिकारी को लिया जा सकेगा।

2. सहसमिति शारीरिक नाप तथा शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिये तथा माप के रिकार्ड रखने हेतु समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्कतानुसार प्रारूप बनाया जा सकेगा। जिसमें कुछ सदस्य छत्तीसगढ सशस्त्र बल से और कुछ सदस्य जिला पुलिस बल से लिए जाएंगे । इस समिति के सदस्य प्रदर्शनीय/मूल्यांकन के रिकार्ड संधारण करने हेतु प्रमाणिकता के लिये उत्तरदायी होंगे। चयन समिति उपर्युक्त मानकों में पुनः संचालित माप हेतु मुक्त होगा।

3. परंतु पुलिस महानिरिक्षक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उपर्युक्त चयन समिति से भिन्न चयन समिति भी गठित कर सकेगा ।

7. भर्ती का तरीका :– (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण व्दारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मौलिक क्षमता में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी रिक्ति या रिक्तियों को,जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा भर्ती किये जाने हेतु व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा अवधारित किया जायेगा ।

(3) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा हेतु भर्ती के ऐसे तरीकों से भिन्न विनिर्दिष्ट तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश व्दारा विहित करें।

(4) चयन प्रक्रिया में प्रवेश हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के लिये शासन के संबंधित पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में, आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा इच्छुक विशिष्ट पद का उल्लेख करना चाहिए।

(5) अभ्यर्थी अनर्ह समझा जावेगा, यदि अपने आवेदन पत्र के प्रारूप में गलत जानकारी देता है या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाता है तो ऐसा कृत्य करनें पर अभ्यर्थी को सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु या सेवा में निरन्तर बने रहने का अधिकार नहीं होगा तथा उसकी सेवा तत्काल, बिना कोई पूर्व सूचना दिये नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा समाप्त कर दी जावेगी ।

(6) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा व्दारा चयन की प्रकिया निम्नानुसार होगी, अर्थात् :–

(एक) **आवेदन पत्रों की छानबीन** – आवेदन फार्म की छानबीन करते हुए, समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यथियों को प्रथम चरण के अन्तर्गत चयन पकिया में भाग लेने की पात्रता होगी। यथासंभव आवेदन फार्म लेने के बाद समस्त प्रकिया कम्प्यूटराईज्ड होगी।

(दो) **शारीरिक माप का मान** – प्रथम चरण के अन्तर्गत आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरान्त दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख नियम 9 के उपनियम (5) के (क) से (घ) के अनुसार (ऑखों की दृष्टि, एवं ऑखों से संबंधित अन्य जांच को छोडकर) किया जावेगा तथा आगामी प्रकिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जावेगा।

(तीन) **शारीरिक दक्षता परीक्षा** – शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है, जो कुल **100 अंको** का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी:–

(अ) लम्बी कूद. **20 अंक.**

(ब) ऊँची कूद. 20 अंक.

(स) गोला फेंक. 20 अंक.

(द) 100 मीटर दौड़. 20 अंक.

(इ) 800 मीटर दौड़. 20 अंक.

प्रत्येक परिणाम के लिये दिये जाने वाले अंको का विस्तृत विवरण अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट किये गये है।

उपरोक्त सभी आयटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जावेगा तथा सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 100 अंकों में से 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों के उपरोक्त समस्त आयटमों में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जावेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जावेगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जावेगी। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट का तत्काल रिकार्ड रखने, विवादों को समाप्त कर परीक्षा प्रवेश–पत्र का कार्य करने वाला एक बहुउद्देशीय कार्ड का आदर्श नमूना संलग्न है, जिसे अनिवार्यतः अपनाया जावे।

(चार) लिखित परीक्षा :–शारीरिक प्रवीणता टेस्ट का परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जातिवर्ग अनुसार तैयार की जावेगी तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जावेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थीयों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाए। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 02 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जावेंगें, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा शासन द्वारा नियुक्त/अधिकृत अन्य एजेंसी के द्वारा कराया जा सकता है।

आरक्षक (चालक) पद हेतु भारी वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है तथा उसे ट्रेड टेस्ट देना होगा जिसके 100 अंक होगें। ट्रेड टेस्ट हेतु रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा तीन सदस्यों की उप समिति बनाई जावेगी, जिसमें किसी अन्य इकाई के एमटी शाखा के एक अधिकारी को इस उप समिति में शामिल किया जावेगा ।

आरक्षक(ट्रेडमैन) हेतु उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड का टेस्ट देना होगा जिसके 100 अंक होगें। ट्रेड टेस्ट हेतु रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा तीन सदस्यीय उप समिति का गठन किया जावेगा, इसमें एक सदस्य संबंधित ट्रेड का अनुभवी कर्मचारी होना आवश्यक है । इन दोनों

पदों के उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में भाग लेना आवश्यक होगा, किन्तु यह लिखित परीक्षा से मुक्त होंगे। बोनस अंकों की पात्रता दोनों पद हेतु लागू होगी, शेष नियम आरक्षक(जीडी) के अनुसार होंगे। आरक्षक (सहायक) पद हेतु वही अर्हता होगी जो आरक्षक (जीडी) पद हेतु निर्धारित है।

(पॉच) **पुरूषों के लिए 15 किलोमीटर की दौड़/चाल तथा महिलाओं के लिए 08 किलोमीटर की दौड़/चाल** –लिखित परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जाति/वर्ग के अनुसार तैयार की जावेगी, इसमें विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम पॉच गुना अभ्यर्थियों को 15/08 किलोमीटर की दौड़/चाल में भाग लेना होगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को इसकी पात्रता होगी, भले ही यह संख्या पॉच गुना से अधिक हो । पुरूष अभ्यर्थियों को 15 किलोमीटर की दौड़/चाल को अधिकतम दो घण्टे में तथा महिला अभ्यर्थियों को 08 किलोमीटर की दौड़/चाल अधिकतम दो घण्टे में पूर्ण करना आवश्यक होगा, तभी वे अर्ह माने जावेंगे।

(छः) **बोनस अंक** :– अभ्यर्थियों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 05 अंक निर्धारित है, किन्तु विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होंगे। अर्थात दो से अधिक विशेष योग्यता होने पर भी बोनस अंक 10 ही होंगे।

(क) मोटर वाहन चालन का हैवी लाइसेंसधारी,

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता,

केवल वे अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, उसमें केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी

(ग) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण–पत्रधारी ।

(सात) **चयन सूची** :– कुल पूर्णांक 200, बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जावेगी। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट–100, लिखित परीक्षा–100, बोनस अंक–10 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, बोनस अंकों में प्राप्तांकों के योग के आधार पर मेरिट क्रम में सूची बनाई जावेगी। सर्वप्रथम सभी वर्गो के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदो के लिये योग्य अभ्यर्थियों की सूची बनाई जावेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिवर्ग) के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी योग्यता भी पूरी करते हैं। शेष अभ्यर्थियों में से अजा, अजजा, अपिवर्ग के अभ्यर्थियों की उनके अपने–अपने जातिवर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक–पृथक सूचियॉ बनाई जावेंगी।

यह सूची तैयार होने के पश्चात होमगार्ड के लिये आरक्षण एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये खण्डवार आरक्षण को प्रभावी करना होगा। यदि उपरोक्त सूचियों में पहले ही कुल 25 प्रतिशत होमगार्ड अभ्यर्थी नहीं हैं तो परीक्षा में शामिल सभी होमगार्ड की सूची मेरिट कम में बनाई जावेगी तथा मेरिट कम में 25 प्रतिशत के मान से नाम पृथक किये जावेगें और फिर इनमें से केवल उतने अभ्यर्थियों को पूर्व में संदर्भित अनारक्षित पदों एवं आरक्षित पदों की सूचियों में सम्मिलित किया जावेगा, जितने कि 25 प्रतिशत आरक्षण लाभ देने के लिये आवश्यक हों। **केवल तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही, नगर सेना कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी।** इसके प्रतिस्थापना प्रकिया में अनारक्षित तथा आरक्षित सूचियों में मेरिट में नीचे कम के गैर होमगार्ड अभ्यर्थी इन सूचियों से स्वतः बाहर हो जावेंगे। भूतपूर्व सैनिकों का 10 प्रतिशत सीधा आरक्षण है किन्तु भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण श्रेणीवार हो जाने से इनकी मेरिट सूची जाति वर्गवार बनाई जावेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी। प्रतिस्थापना प्रक्रिया भी केवल उसी वर्ग में होगी, जिसमें 10 प्रतिशत की संख्या पूरी नहीं होती है। होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं पाये जाने से कोई भी पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं होंगें, बल्कि ऐसे पद अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरे जावेगें।

महिलाओं के लिये आरक्षित पदो के लिये पृथक सूचियॉ बनाई जावेंगी किन्तु चूँकि महिलाओं का आरक्षण खण्डवार सीधा आरक्षण है तथा योग्य महिलायें उपलब्ध न होने से पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं किये जायेंगे अतः जिस वर्गवार की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगी उस पद को उसी वर्ग के पुरूष उम्मीदवार से भरा जावेगा।

(आठ)– **चयन सूची का अनुमोदन** – परीक्षा के पश्चात् चयन सूची तत्काल ही तैयार की जाकर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार समस्त आवश्यक रिकार्ड के साथ रेंज पुलिस महानिरीक्षक को अनुमोदन हेतु भेजी जावेगी। रेंज पुलिस महानिरीक्षक प्रथम दृष्टया परन्तु किसी भी दशा में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यकम के अनुसार ही सूची का परीक्षण कर अनुमोदन आदेश जारी करेंगे। रेंज पुलिस महानिरीक्षक चयन सूची का अनुमोदन के समय परीक्षण करेंगें कि –

(अ) क्या भर्ती नियमानुसार की गई है?

(ब) क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है?

(स) भर्ती के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या ऐसी शिकायत तो सामने नहीं आई जो प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होती हो?

(द) कोई अन्य स्वस्पष्ट चूक या त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित नहीं हो रही है?

यदि रेंज पुलिस महानिरीक्षक उपरोक्त त्रुटि पाते हैं तो भर्ती की कार्यवाही निरस्त करने का स्पष्ट आदेश जारी करेंगें। निरस्तीकरण आदेश की प्रति पुलिस

मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जावेगी। केवल अंक गणितीय चूक के आधार पर भर्ती तभी निरस्त की जावेगी जब तक कि यह स्पष्ट न हो जावे कि इसके कारण अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अप्रमाणित शिकायतों अथवा जनचर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जा सकेगी।

चयन सूची या तो पूरी तरह अनुमोदित की जावेगी अथवा पूरी तरह निरस्त की जावेगी। रेंज पुलिस महानिरीक्षक पुनः मूल्यांकन अथवा पुनः परीक्षा का आदेश नहीं दे सकेंगें। अनुमोदन के पूर्व रेंज पुलिस महानिरीक्षक सभी आवश्यक रिकार्ड एवं कच्चा कार्य परीक्षण हेतु बुला सकेंगे।

8. **सेवा में नियुक्ति.** –(1) इन नियमों के प्रयुक्त होने के पष्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा की जावेंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों मे से किसी एक तरीके व्दारा चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी अन्यथा नहीं। नियुक्ति आदेश चयन सूची में वरिष्ठता के कम में जारी किये जावेंगें। नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप होने और निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर ही अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी कर पुलिस लाईन में आमद देने का आदेश दिया जावेगा।

(2) सीधी भर्ती हेतु आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अजा/अजजा/अपिवर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का पालन करते हुये जिला/इकाईयों के भर्ती आरक्षण रोस्टर के अनुसार पृथक–पृथक पदों का विभाजन विज्ञापन में स्पष्ट कर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जावेगा।

(क) भूतपूर्व सैनिकों के शासकीय सेवा में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों के लिये कमशः 10 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन किया जावेगा।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय के ज्ञापन कमांक एफ 13–9/दो–गृह/2005 दिनांक 16.1.2007 के अधीन स्वयंसेवी नगरसैनिकों के लिये 25 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जावेगा।

(ग) 30 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवाएं (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष प्रावधान) के अनुशरण में महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखा जाएगा।

9. **सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्ते.** – अभ्यर्थियों की पात्रता के लिये निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् –

(1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है ।

(2) अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(4) आयु. –

(क) परीक्षा प्रारम्भ होने के समय पश्चात् आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–2 के कालम–5 में विनिर्दिष्ट अनुसार आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची में कालम–6 में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयुसीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी:–

(एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ;

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये . यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) यदि कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके व्दारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयुसीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी

स्पष्टीकरण :– शब्द छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी से द्योतक है – ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्ही भी संगठन इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने के तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो .

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,परन्तु

इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो .

स्पष्टीकरण:– पद "भूतपूर्व सैनिक" से घोतक है ऐसा व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन–पत्र देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप, या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई है या जो अधिशिष्ट घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतों (मास्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया है

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किये गये हो, और जिन्हेः–

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर ,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तो के पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी ।

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है)जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवान्मुक्त किए गए हो।

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हे अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नही हैं ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने , घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(ङ.) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिये भी अधिकतम आयुसीमा 2 वर्ष तक शिथिल की जावेगी .

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरूस्कृत दम्पतियों के सवर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी

(छ) 'विकम पुरस्कार' प्राप्त खिलाड़ी अभ्यर्थियों के संबंध में भी अधिकतम आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी .

(ज) इन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हो, अधिकतम आयुसीमा को 36 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा .

(झ) स्वंयसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान–कमीशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयुसीमा उनके व्दारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान–कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षो के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाए अर्थात उस नगर सैनिक/नान–कमीशंड अधिकारी को जिसने एक वर्ष की नगरसेना सेवा पूर्ण की हो उसे आवश्यकतानुसार सामान्य अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की, जिसने दो वर्ष की नगरसेना सेवा पूर्ण की हो उसे दो वर्ष की एवं ऐसे ही आगे के पूर्ण सेवा वर्षो के बराबर की छूट दी जाए।

टिप्पणी– उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को चयन के लिये सम्मिलित किया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् इनकी सेवा या पद से छटनी की जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

(1) किसी भी अन्य मामले में आयुसीमा शिथिल नहीं की जावेगी .विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपसंजात होनें के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी।

(2) शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरणों में अनुशासन, अयोग्यता अथवा चिकित्सा के आधार पर सेवा से हटाये गये सेवारत अथवा भूतपूर्वकर्मी इस सेवा के अयोग्य होंगें।

स्पष्टीकरण –

शासन के मानदेय पर या संविदा पर कार्य करने वाले अन्य स्वयंसेवियों या कर्मियों या शिक्षाकर्मी या पंचायत कर्मी इत्यादि को आयुसीमा में छूट की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

(5)– शारीरिक अर्हता.–अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य ही होनी चाहिये :–

(क) उँचाई – 168 सेंमी या उससे अधिक (सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)

153 सेंमी या उससे अधिक (राजस्व जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जशपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)

158 सेंमी या उससे अधिक (शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति के पुरूष तथा स्त्री वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये)

(ख) सीना– बिना फुलाये 81 सेंमी (अजजा अभ्यर्थियों हेतु 76 सेमीं) तथा फुलानें पर 86 सेंमी. (अजजा अभ्यर्थियों हेतु 81 सेमीं)

(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलानें में कम से कम 5 सेंमी का अंतर होना आवश्यक है, इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी). (महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी ।

नोट –1. विशेष प्रकरणों में शारीरिक मापदण्ड (क) एवं (ख) के संबंध में छूट केवल पुलिस महानिदेशक द्वारा दी जा सकेगी।

2 ऊंचाई एवं सीने की नापतौल में इकाई प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिये .

(घ) अभ्यर्थी में नाकनी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए । नॉकनी एंव फ्लेट फुट संबंधी अर्हतायें समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये । उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगें तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगें। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये । आंखों की दृष्टि बिना चश्में के एक ऑख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिये । मुख्य रंगों का भेद करनें में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये ।

(6)– **शैक्षणिक अर्हताएं.** –अभ्यर्थी के पास अनुसूची–एक में दर्शाये गये सेवा के लिये अपेक्षित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, परन्तु अपवादिक मामलों में सम्मिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में निहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसनें अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के विचारण के लिये पात्र बनाती हो ;

10. **निरर्हता.** –अभ्यर्थी की ओर से अपने चयन के लिये सहायता प्राप्त करनें हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास चयन समिति द्वारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित करने के लिये उसे अयोग्य बनाने वाला माना जावेगा .

11. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा** –परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी .

12. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.** –(1) भर्ती वर्ष में 02 बार क्रमशः जनवरी एवं जुलाई माह में की जावेगी। भर्ती कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय/संबंधित इकाई द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया जावेगा। भर्ती जिला मुख्यालयों पर पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही समय पर होगी। कोई विशिष्ट कानून व्यवस्था अथवा अन्य समस्या होने पर पुलिस मुख्यालय भर्ती कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर सकेगा।

(2) विज्ञापन जारी होने के दिनांक को पदों की वास्तविक रिक्तियों की संख्या के आधार पर ही विज्ञापन जारी किया जावेगा। वित्तीय मितव्ययता को ध्यान में रखते हुये पुलिस मुख्यालय द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिला पुलिस, रेल पुलिस एवं पी.टी.एस. का संयुक्त विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। इसके लिये माह जनवरी में होने वाली भर्ती के लिये जानकारी 30 अक्टूबर की स्थिति में माह नवम्बर में तथा माह मई में होने वाली भर्ती के लिये 30 अप्रैल की स्थिति में सभी इकाईयों से बुलवाई जावेगी। रिक्तियों की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट, तहसील एवं ब्लाक कार्यालयों के सूचना पटल पर चिपकाये जाने की व्यवस्था की जावे ताकि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना आसानी से पहुँच सके।

(3) केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जावेगा।

(4) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम–1994 (क्र–21 सन–1994) के प्रावधानों और राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं .

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों को ,जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया है । यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये नियम–(13) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए समस्तर एवं प्रभागवार 30% आरक्षण रहेगा । विभाग मंत्री–परिषद के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति हेतु इस सीमा को 10 प्रतिशत तक कम कर सकेगा।

13. समिति व्दारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची. – (1) समिति, अपने व्दारा निश्चित किये गये स्तर के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों की योग्यता कम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों की सूची जो उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है किन्तु फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति व्दारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा. सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूची को प्रकाशित भी किया जावेगा .

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये सूची में से उसी कम में विचार किया जावेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये है. वास्तविक रिक्त पदों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए 25 प्रतिषत पदों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जावेगी जो प्रकाशन दिनांक से आगामी चयन प्रकिया प्रारम्भ होने तक या एक वर्ष की अवधि अथवा जो पहले हो तक ही प्रभावशील होगी। इस अवधि में नये पदों की स्वीकृति पर भर्ती अनुमति अथवा पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या संवर्ग परिवर्तन, बर्खास्तगी या अन्य कारणों से जो पद रिक्त होंगें, उनकी पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची में से की जा सकेगी।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पष्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जावे कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

14. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति. – (1) सीधी भर्ती के लिये अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा एवं बोनस अंक में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जादेगी । नियुक्तियॉ पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए गुणागुण सूची से की जाएगी , परन्तु यह कि , केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जावेगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक सामान्य जाति के सदस्य तथा 50 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों ने प्राप्त किए हों।

(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निश्चित की जादेगी । अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जावेगा। यदि जन्मतिथि व प्राप्तांक समान हों तो आवेदन पत्र का पंजीयन कमांक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा चयन सूची जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि तक विधि मान्य होगी ।

15. **परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण.** –(1) प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जाएगा । चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाए जाने पर सफल अभ्यर्थी जिनका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) में आया है, को दो वर्ष की परीवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा। (यदि कोई अभ्यर्थियों चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक किया जा सकेगा। चरित्र सत्यापन प्रतिकूल होने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।)

यदि कोई अभ्यर्थी जिसे परीवीक्षा पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया हो, दिए गए दिनांक तथा निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, तो पुलिस महानिदेशक के आदेश व्दारा ऐसे अभ्यर्थी का नाम चयन–सूची से हटाया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी यह आदेष जारी कर सकेगा कि वह उस अभ्यर्थी के नियुक्ति प्रस्ताव जारी करें, जिसका नाम गुणागुण–सूची में ठीक नीचे दिया गया है तथा जिसे ऐसे प्रस्ताव के लिये अन्यथा उपयुक्त पाया गया है।

(2) अभ्यर्थियों को इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा, जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

(3) निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात् दिया जावेगा । निर्धारित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय–समय पर निर्धारित मानदण्डों व्दारा प्रषिक्षण उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की स्थिति में प्रशिक्षण कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे सेवा मुक्त भी किया जा सकेगा।

16. **सामान्य निर्देश :–** (1) पुलिस प्रशिक्षण शाला में आरक्षक पद पर कोई नियुक्ति नहीं होगी। उस पद की पूर्ति स्थानान्तरण द्वारा की जावेगी। जिस जिले में वह पुलिस प्रशिक्षण शाला स्थित होगी उस जिले से मूलतः रिक्तियों की पूर्ति की जावेगी।

(2) अभ्यर्थियों की नियुक्ति वरिष्ठता कम में 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार ही इकाई प्रमुख द्वारा की जावेगी।

(3) भर्ती का सभी रिकार्ड एवं रफ कार्य सुरक्षित रखा जावेगा। यह भर्ती समाप्त होने के तीन वर्ष बाद ही नष्ट किया जा सकेगा बशर्ते भर्ती के संबंध में कोई जॉच न चल रही हो या प्रस्तावित न हो अथवा न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो।

(4) सभी रिकार्ड स्याही अथवा बाल पेन से लेख किया जावेगा।

(5) शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता में एकरूपता एवं पारदर्शिता के लिये नमूना कार्ड का प्रारूप परिशिष्ट के तौर पर नियम के साथ संलग्न है।

(6) चयनित अभ्यर्थियों पर (दिनांक 01.04.2004 से प्रभावी) नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

17. **निर्वचन** :—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जावेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा .

18. **शिथिलीकरण** : —इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जावेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु मामले में ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जावेगी जोकि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

19. **निरसन तथा व्यावृत्ति** :— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते है ;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जावेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए0मिंज)
अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग
रायपुर, दिनांक 23 /11/07

पृ.क्रंमाक एफ 2—33/दो—गृह/रापुत्ते/2007 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 23.11.2007 का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए0मिंज)
अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग